ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-9* December-2021
Anthology : The Research

संसद और संसदीय आचार संहिता

Lok Sabha and Election Commission

Paper Submission: 12/12/2021, Date of Acceptance: 23/12/2021, Date of Publication: 24/12/2021

भावना पोखरना
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

सीमा गहलोत
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय,
मोहन लाल सुखाड़िया विश्व'विद्यालय, उदयपुर,
राजस्थान, भारत

सारांश

संसदीय आदर्श आचार संहिता एक संविधानिक नियामवली हैं, जिसके अनुसार भारतीय संसद (जन लोक प्रतिनिधि सदन) की कार्यवाही को सुचारू रूप से किया जा सके । ये नियमावली जनप्रतिनिधियों को जनता एवम संविधान के प्रति अपने उत्तरदायी कर्तव्यों के पालन के लिए नैतिक नियमावली हैं। आदर्श आचार संहिता न केवल कार्यवाही को नियमित करती बल्कि यह एक प्रकार का लिखत एवम अलिखित दस्तावेज हैं जो संसद (प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ,और सांसद) की कार्यवाही के दौरान समस्याओं का भी समाधान करती हैं।

Parliamentary Model Code of Conduct is a constitutional rule, according to which the proceedings of the Indian Parliament (Jana Lok Pratinidhi Sadan) can be carried out smoothly. These rules are moral rules for the public representatives to perform their responsible duties towards the public and the constitution. Model code of conduct not only regulates the proceedings but it is a kind of instrument and unwritten document which also solves the problems during the proceedings of the Parliament (Prime Minister, President, and MP).

मुख्य शब्दः संसद और संसदीय आचार संहिता, लोकसभा, राज्यसभा।
Key words: Parliament and Parliamentary Code of Conduct, Lok Sabha, Rajya Sabha.

प्रस्तावना

भारत की संसद (अथवा पार्लियामेंट) भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा (लोगों का सदन) एवं राज्यसभा (राज्यों की परिषद) होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की षक्ति है।

भारतीय संसद का संचालन 'संसद भवन' में होता है। जो कि नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। परन्तु यह केवल व्यवहार में कहां जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए निम्न सदन सदन एवं राज्य सभा के लिए उच्च सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

भारतीय संसद

		प्रकार
सदन प्रकार		द्विसदनीय व्यवस्था
सदन		राज्य सभा/लोक सभा
इतिहास		
इससे पहले		भारतीय संविधान सभा
नेतृत्व		
भारत के राष्ट्रपति	:	रामनाथ कोविंद-25 जुलाई 2017 से
उपराष्ट्रपति	:	वेंकैया नायडू - 11 अगस्त 2017 से
लोकसभा अध्यक्ष	:	ओम बिड़ला, भाजपा- 19 जून 2019 से
सदन के नेता (लोकसभा)	:	नरेन्द्र मोदी, भाजपा-26 मई 2014 से
सदन के नेता (राज्यसभा)	:	थावरचंद गहलोत, भाजपा- 08 जून, 2019 से
राज्य सभा के उपाध्यक्ष	:	हरिवंष नारायण सिंह, जदयू- 09 अगस्त 2018 से
लोकसभा उपाध्यक्ष	:	रिक्त 23 मई 2019 से
विपक्ष के नेता (राज्यसभा)	:	गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस
विपक्ष के नेता (लोकसभा)	:	रिक्त (किसी दल की 10 प्रतिषत सीटें नहीं)
26 मई 2019 से		
संरचना		
सीटें	:	245 (राज्यसभा)

लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है। जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है।

भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों सदनों में से किसी भी एक का सदस्य हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, परन्तु उसे

छह मास के पष्चात् पद छोड़ना पड़ता है, यदि इस बीच, वह दोनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचित न हो जाएं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। अंतः उसके लिए यह जरूरी है कि लोक सभा का विष्वास खोते ही पद त्याग कर दें।

संसदीय शसन शसन का अर्थ होना चाहिए संसद द्वारा शसन। किन्तु संसद स्वयं षासन नहीं करती और न ही किन्तु संसद स्वयं शसन नहीं करती और न ही कर सकती है। मंत्रीपरिषद के बारे में एक तरह से कहा जा सकता है कि यह संसद की महान कार्यपालिका समिति होती है। जिसे मूल निकाय की ओर से शसन करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। संसद का कार्य विधान बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना है। कार्यपालिका का कार्यशसन करना है, यद्यपि वह संसद की ओर से ही शसन करती है।

लोकसभा प्रत्येक आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। प्रत्येक अधिवेषन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को छह मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। यद्यपि सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथापि व्यवहार में इस आषय के प्रस्ताव की पहल सरकार द्वारा की जाती है।

संसद के सत्रः सामान्यत

प्रतिवर्ष संसद के तीन सत्र या अधिवेशन होते हैं। यथा बजट अधिवेशन (फरवरी-मई), मानसून अधिवेशन जुलाई-अगस्त और शीततकालीन अधिवेषन नवम्बर-जनवरी तक चलता है।

कार्यक्रम और प्रक्रिया

संसदीय कार्य दो मुख्य शीशो में बांटा जा सकता हैः सरकारी कार्य और गैर सरकारी कार्य। सरकारी कार्य को फिर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है ऐसे कार्य जिनकी शुरूआत सरकार द्वारा की जाती है, और ऐसे कार्य जिनकी जिनकी शुरूआत विपक्ष के सदस्यों द्वारा की जाती है परन्तु जिन्हें सरकारी कार्य के समय में लिया जाता है जैसे प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यान दिलाना, विशेषाधिकार के प्रश्न, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चाएं इत्यादि।

गैर-सरकारी सांसदों के कार्य, अर्थात् विधेयकों और संकल्पों पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन या किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष निर्धारित करे ढाई घंटे तक चर्चा की जाती है। सदन में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए समय की सिफारिश सामान्यतः कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की जाती है। प्रायः हर सप्ताह एक बैठक होती है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की छपी हुई प्रतियां सामान्यतः बैठक के बाद एक मास के अंदर उपलब्ध करा दी जाती है। कार्यवाही को टेप रिकॉर्ड किया जाता है। वाद विवाद के अधिवेशनवार छपे हुए खंड हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होते है।

शून्यकाल

संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर 'शुन्यकाल' अथवा जीरो आवर के नाम से जाना जाने लगा है। यह एक से अधिक अर्थों में शुन्यकाल होता हैं 12 बजे दोपहर का समय न तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है और न ही मध्याह्न पश्चात् का समय। 'शून्यकाल' 12 बजे प्रारम्भ होने के कारण इस नाम से जाना जाता है इसे 'आवर' भी कहा गया क्योंकि पहले 'शून्यकाल' पूरे घंटे तक चलता था, अर्थात् 1 बजे दिन में सदन का दिन के भोजन के लिए अवकाश होने तक।

अतः नियमों की दृष्टि से तथा कथित षून्यकाल एक अनियमितता है। प्रष्नकाल के समाप्त होते ही सदस्यगण ऐसे मामले उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में वे महसूस करते हैं कि कार्यवाही करने में देरी नहीं की जा सकती। हालांकि इस प्रकार मामले उठाने के लिए नियमों में कोई उपबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रथा के पीछे यही विचार रहा है कि ऐसे नियम जो राष्ट्रीय महत्व के मामले या लोगो की गंभीर शिकायतों संबंधी मामले सदन में तुरंत उठाए जाने में सदस्यों के लिए बाधक होते हैं, वे निरर्थक हैं। आजकल, शुन्यकाल में उठाये जाने वाले कुछ मामलों की पहले से दी गई सूचना के आधार पर, अध्यक्ष की अनुमति से, एक सूची भी बनने लगी है।

भाषा

संसद के कार्य का संचालन करने की भाषाएं हिन्दी तथा अंग्रेजी हैं। किन्तु पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता हो, अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। दोनों सदनों में 12 भाषाओं को हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ भाषातंर करने की सुविधाएं उपलब्ध है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारतीय संविधान के अनुसार संसदीय की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करना।
2. संवैधानिक कर्तव्यों की प्राप्ति में आदर्श संसदीय आचार संहिता में आवश्यक सुधार करना व उद्देश्यपूर्ण बनाना।

मुख्य लेखः संसदीय विषेषाधिकार

संसदीय विशेषाधिकार वे विशिष्ट अधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों को, उसके सदस्यों को और समितियों को प्राप्त है। विशेषाधिकार इस दृष्टि से दिए जाते हैं कि संसद के दोनों सदन, उसकी समितियां और सदस्य स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। उनकी गरिमा बनी रहें, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कानून की नजरों में साधारण नागरिकों के मुकाबले में विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों की स्थिति भिन्न है।

जहां तक विधियों के लागू होने का संबंध है, सदस्य लोगों के प्रतिनिधि संसद के परिसरों के भीतर, सभापति की अनुमति के बिना, दीवानी या आपराधिक कोई कानूनी 'समन' नहीं दिए जा सकते हैं। अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के बिना संसद भवन के अंदर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि संसद के परिसरों में केवल संसद के सदन के या अध्यक्ष/सभापति के आदेषों का पालन होता है।

यहां अन्य किसी सरकारी प्राधिकारी के या स्थानीय प्रषासन के आदेष का पालन नहीं होता। संसद का प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकार का स्वयं ही रक्षक होता है। विशेषाधिकार भंग करने या सदन की अवमानना करने वाले को भर्त्सना करके या ताड़ना करके या निर्धारित अवधि के लिए कारावास द्वारा दंडित कर सकता है। स्वयं अपने सदस्यों के मामले में सदन अन्य दो प्रकार के दंड दे सकता है।

सदन की सेवा से निलंबिन करना और निकाल देना, किसी सदस्य को एक निर्धारित अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जा सकता है। किसी अति गंभीर मामले में सदन से निकाला जा सकता है। सदन अपराधियों को ऐसी अवधि के लिए कारावास का दंड दे सकता है जो साधारणतः सदन के अधिवेषन की अवधि से अधिक नहीं होती।

जैसे ही सदन का सत्रावसान होता है, बूंदी को मुक्त कर दिया जाता है। दर्शकों द्वारा गैलरी में नारे लगाकर और/अथवा इष्तिहार फेंककर सदन की अवमानना करने के कारण, दोनों सदनों ने, समय समय पर, अपराधियों को सदन के उस दिन स्थगित होने तक करावास का दंड दिया है।

सदन का दांडिक क्षेत्र अपने सदनों तक और उनके सामने किए गए अपराधों तक ही सीमित न होकर सदन की सभी सदन अपराधियों को ऐसी अवधि के लिए कारावास का दंड दे सकता है जो साधारणतः सदन के अधिवेषन की अवधि से अधिक नहीं होती। जैसे ही सदन का सत्रावसान होता है, बूंदी को मुक्त कर दिया जाता है। दर्शकों द्वारा गैलरी में नारे लगाकर और/अथवा इष्तिहार फेंककर सदन की अवमानना करने के कारण, दोनों सदनों ने, समय समय पर, अपराधियों को सदन के उस दिन स्थगित होने तक कारावासा का दंड दिया है।

सदन का दांडिक क्षेत्र अपने सदनों तक और उनके सामने किए गए अपराधों तक ही सीमित न होकर सदन की सभी अवमाननाओं पर लागू होता है। चाहे अवमानना सदस्यों द्वारा की गई हो या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो सदस्य न हों। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि अपराध सदन के भीतर किया गया है या उसके परिसर से बाहर।

सदन का विशेषाधिकार भंग करने या उसकी अवमानना करने के कारण व्यक्तियों को दंड देने की सदन की यह षक्ति संसदीय विशेषाधिकार की नींव है।सदन की ऐसी परम्परा भी रही है कि सदन का विशेषाधिकार भंग करने या सदन की अवमानना करने के दोषी व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से और बिना किसी शर्त के दिल से व्यक्त किया गया खेद सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे में साधारणतः सदन अपनी गरिमा को देखते हुए ऐसे मामलों पर आगे कार्यवाही न करने का फैसला करता है।

आचार संहिता क्या होती है?
Code of Conduct in Hindi

Table of Contents

1. Code of Conduct in Hindi
2. आचार संहिता क्या होती है (What is a Code of conduct)?
3. आचार संहिता के नियम काननू व प्रावधान (Code of Conduct Rules)

चुनाव के समय आचार संहिता (Code of Conduct) लागू की जाती है जिसे चुनाव आचार संहिता भी कहते है, अधिकतर लोगों को आचार संहिता के विषय में जानकारी नहीं होती है, जिससे वह इसका उलंघन करते है। भारत (India) में जब भी चुनाव का आयोजन होता है।

आदर्ष आचार संहिता (Model Code of Conduct) को लगाया जाता है। चुनाव की तारीखों के साथ ही इसकी घोषणा कर दी जाती है। यह नतीजे आने का जारी रहती है। इस समय राजनीतिक दलों और राजनेताओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। इन व्यापक धारा के लगने से दंगे व झगड़े जो कि चुनावी माहौल में बहुत ही आम बात है, नियंत्रण में कर लिया जाता है। इलेक्षन कमिशन ऑफ इंडिया मॉडल कॉड ऑफ कंडक्ट के नियमों को बड़ी सख्ती से पालन कराता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता देखने पर तुरंत कार्यवाही करने का आदेष उस क्षेत्र के अधिकारी को देता है। यह सुनिश्चित भीकरता है कि चुनाव सही प्रकार से सम्पन्न हो।

आदर्श चुनाव आचार संहिता

भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्ष चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिये बनायी गयी एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की।

यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीद्वारों तथा जनता को दिये गये निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी हैं। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है।

चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, अपितु यह एक क्रमषः प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयुक्त एन. षेषण द्वारा किया गया है। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल है।

1. स्रकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएँ नहीं करना।
2. चुनाव के दौरान सरकारी मषीनरी का दुरूपयोग न करना।
3. राजनीतिक दलों और उम्मीद्वारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना।
4. चुनाव के दौरान धन-बल और बाहू-बल का प्रयोग न करना।

निष्कर्ष

संसदीय आचार संहिता को संवैधानिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक प्रभावशाली बनाना, और जनकल्याणकरी सरकार निर्माण में सहयोगी बनना।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *पामार, पर्किन्स 2001-02, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति जॉर्ज वैली एण्ड सन्स, नई दिल्ली।*
2. *जे.सी. जौहरी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत, प्रकाशन नई दिल्ली।*
3. *पण्डित, जवाहर लाल नेहरूः भारतीय लोकतांत्रिक मूल्य, नई दिल्ली 1952-54*
4. *जेम्स भावडस्ले, द हर्ट मस्ट ब्रेक, द फाइट फॉर डेमोक्रेसी एण्ड टुप (2003-04), नई दिल्ली।*
5. *के.मेहता अशोक, नेपर हुड आर्मी चेन्जेज फॉर द बेटर, दा पायनियर (2012-13)*
6. *सुमीत गांगुली, इण्डियन फॉरेन पॉलिसी रेस्ट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रोस्पेक्टर ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस-2010-11*
7. *कश्यप, सुभाषा - भारतीय संविधान और संसद, नई दिल्ली प्रकाशन।*
8. *तपन विस्वालः अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और राजनीति, नई दिल्ली।*